संख्या- 327 /2024 / 2639 /चार-2024-1760669

प्रेषक,

रघुनाथ प्रसाद वर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 13 सितम्बर, 2024

विषय:- जनपद हरदोई के अन्तर्गत रामलीला मैदान सण्डीला में भवन निर्माण एवं अन्य विकास कार्य हेतु परियोजना स्थल की विद्युत लाईन हटाने का कार्य सम्मिलित करते हुए परियोजना की संशोधित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-1458/सं0नि0-6(24)/2023-24 दिनांक 04 सितम्बर, 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद हरदोई के न०पा०प० सण्डीला में रामलीला मैदान में भवन एवं अन्य विकास कार्य कराये जाने हेतु उपलब्ध भूमि के ऊपर 11 के०वी० विद्युत लाईन हटवाने हेतु विद्युत विभाग से प्राप्त आगणन के अनुसार रू० 2,41,518/- उपलब्ध कराये जाने के सबंध में अनुरोध किया गया है।

2. जनपद हरदोई के अन्तर्गत रामलीला मैदान सण्डीला में भवन निर्माण एवं अन्य विकास कार्य हेतु शासनादेश संख्या-11/2024/33/चार-2024, दिनांक 04 जनवरी, 2024 के द्वारा 199.04 लाख की प्रशासकीय एवं रू0 55.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। टेण्डर कास्ट के अनुसार परियोजना की लागत रू0 197.43 लाख निर्धारित है।

3. उपर्युक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद हरदोई के अन्तर्गत रामलीला मैदान सण्डीला में भवन निर्माण एवं अन्य विकास कार्य कराये जाने हेतु टेण्डर कास्ट के अनुसार परियोजना की लागत (रू0 197.43 लाख) में 11 के०वी० विद्युत लाईन हटवाने का कार्य (रू0 2,41,518/-) सम्मिलित कर, परियोजना का पुनरीक्षण (रू0 1,99,84,518/-) करते हुए रू0 1,99,84,518.00 (रू0 एक करोड़ निन्यानवे लाख चौरासी हजार पांच सौ अट्ठारह मात्र) की संशोधित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा 11 के०वी० विद्युत लाईन हटवाने हेतु रू0 2,41,518/- (रू0 दो लाख इकतालीस हजार पांच सौ अट्ठारह मात्र) की धनराशि निर्गत करने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) शासनादेश संख्या- 11/2024/33/चार-2024, दिनांक 04 जनवरी, 2024 में उल्लिखित समस्त शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(2) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3) निदेशक, संस्कृति निदेशालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(4) प्रश्नगत स्वीकृति संस्कृति निदेशालय/ कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व संस्कृति निदेशालय/ कार्यदायी संस्था का होगा।

(5) कार्यदायी संस्था द्वारा परियोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण किया जायेगा।

(6) कार्यदायी संस्था से कार्य पूर्ण होने के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे।

4. उपर्युक्त स्वीकृति से संबंधित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या- 92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक ''4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय -04-कला तथा संस्कृति-800-अन्य व्यय -41- सार्वजनिक रामलीला स्थलों में चाहरदीवारी का निर्माण -24 वृहत् निर्माण कार्य'' मद के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव

संख्या - 327 /2024 / 2639 (1) /चार-2024-1760669 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय , उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- जिलाधिकारी, हरदोई।
5- मुख्य महाप्रबंधक (प्रथम), सी0 एंड डी0 एस0, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
6- परियोजना प्रबंधक, यूनिट-53, सी0 एंड डी0 एस0, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), हरदोई।
7- वित्त (लेखा) अनुभाग-7/ वित्त (ई-7) अनुभाग-1 उ0प्र0 शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।